सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : भाबरू, कैम्प दिनांक 16.05.2018

पीठासीन अधिकारी – **मुकेश कुमार मूंड** R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 79/2005 **दायर तारीख :– 12.09.2005**

1. गोरू उर्फ जोरू पुत्र उमदा (मृतक)
   1/1 नर्बदा देवी पत्नि स्व. गोरू उर्फ जोरू
   1/2 साधूराम
   1/3 परताराम
   1/4 रामसहाय } पि. स्व. गोरू उर्फ जोरू
   1/5 अर्जुन
   1/6 देवकरण
   1/7 सन्तोष
   1/8 मिश्री } पुत्रियां स्व. गोरू उर्फ जोरू
   1/9 हीरा
   समस्त जाती गुर्जर निवासी ढाणी मुक्तावाला तन भाबरू तहसील विराटनगर

—— वादीगण

बनाम

1. मालीराम } पुत्रान सुरजा } जाती गुर्जर निवासी ढाणी मुक्तावाला
2. रामकरण } तन भाबरू, तहसील विराटनगर
3. मोहरी पत्नी सुरजा
4. गैन्दी पुत्री सुरजा पत्नी हनुमान जाती गुर्जर निवासी काकराणा बडा तहसील विराटनगर
5. बरजी पुत्री सुरजा पत्नी रूडाराम } जाती गुर्जर निवासी सूण्डा की ढाणी
6. सुसी पुत्री सुरजा पत्नी बीरबल } तन ढाणी गैसकान, विराटनगर
7. चौथी पुत्री सुरजा पत्नी नरसी } जाती गुर्जर निवासी ढाणी डेहरा
8. कमली पुत्री सुरजा पत्नी भंवरा } तन भाबरू, तहसील विराटनगर
9. प्रेम पुत्री सुरजा पत्नी किशना जाती गुर्जर निवासी नोहरा तन प्रतापगढ तहसील थानागाजी, जिला अलवर
10. छींतर
11. पूरण } पुत्रान बोदूराम, जाती गुर्जर निवासी ढाणी मुक्तावाला
12. सुन्दर } तन भाबरू, तहसील विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13. नानगराम पुत्र नाथ्या (फौत)
- 13/1. महादेव पुत्र नानगराम (फौत)
  - 13/1/1. संज्या पत्नी महादेव
  - 13/1/2. अर्जुन
  - 13/1/3. भींवाराम } पुत्रान महादेव
  - 13/1/4. सतीष
- 13/2. छाजू
- 13/3. मेवाराम } पुत्रान नानगराम
- 13/4. गोपाल
- 13/5. सायरी } पुत्रीयां नानगराम
- 13/6. मीरा

14. हरिराम } पुत्रान नाथ्या
15. गाडाराम

16. सुल्तान पुत्र सुरजा (फौत)
- 16/1. ओमकार
- 16/2. हरसहाय } पुत्रान सुल्तान
- 16/3. धूडाराम
- 16/4. बाबूलाल
- 16/5. रमेश
- 16/6. कमली
- 16/7. सन्ती } पुत्रीयां सुल्तान
- 16/8. ममता

17. भगवानसहाय } पुत्रान सुरजा
18. मालीराम

19. हनुमान } पुत्रान कल्याण
20. धूणाराम

21. फूली पत्नी कल्याण

22. प्रभात पुत्र उमदा (फौत)
- 22/1. मक्खनलाल
- 22/2. उमराव } पुत्रान प्रभात
- 22/3. लीलाराम

22/4. रूडी देवी पुत्री प्रभात पत्नी हीरालाल जाती गुर्जर निवासी ज्ञानपुरा तन तेवडी तहसील विराटनगर

23. कानाराम पुत्र उमदाराम (फौत)
- 23/1. पतासी पत्नी कानाराम
- 23/2. जगदीश
- 23/3. हजारी } पुत्रान कानाराम
- 23/4. दाताराम
- 23/5. राजकरण उर्फ राजू

} जाती गुर्जर निवासी ढाणी मुक्तावाला तन भाबरू तहसील विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23/6. गुलाबी
23/7. माना देवी
23/8. केशर
} पुत्रीयां कानाराम, जाती गुर्जर निवासी ढाणी मुक्तावाला तन भाबरू, तहसील विराटनगर

24. व्यवस्थापक, दी जयपुर सैन्ट्रल कॉ–ओपरेटिव बैंक, शाखा भाबरू तहसील विराटनगर
25. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर
26. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
27. तहसीलदार तहसील विराटनगर
28. भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
29. जय भारत बिल्ड होम प्राईवेट लि॰ जरिए निदेशक प्रदीप चौधरी निवासी 215–ए सीटी सैन्टर संसारचन्द्र रोड, जयपुर शहर 302001

–– प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता, प्रतिवादी 01 से 09, 13, 29
श्री गणपतलाल पंसारी, अधिवक्ता प्रतिवादी 10 से 12, 14 से 21
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 16.05.2018

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर के आराजी खसरा नम्बर 2087, 2095 लगायत 2099, 2102, 2108 लगायत 2131, 2148 किता 31 कुल रकबा 13.94 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 21 के नाम दर्ज है। भूमि मुतनाजा की खातेदारी मे चन्दा पत्नी सुरजा, सुल्तान, भगवानसहाय, मालीराम पि. सुरजा, फूली पत्नी कल्याण, हनुमान, धूणाराम पि. कल्याण हिस्सा 1/3, मोहरी पत्नी सुरजा, मालीराम, रामकरण पि. सुरजा, गैंदी, सुसी, बरजी, कमली, चौथी, प्रेम पुत्रीयां सुरजा हिस्सा 1/3, नानगराम पुत्र नाथ्या हिस्सा 1/12, हरिराम, गाडाराम पि. नाथ्या हिस्सा 1/6, छींतरमल, पूरणमल, सुन्दरलाल पि. बोदूराम, फूली पत्नी बोदूराम हिस्सा 1/12 के नाम दर्ज है, जिसमें खातेदार चन्दा पत्नी सुरजा एवं फूली पत्नी बोदू फौत हो चुके हैं जिनके वारिसान के नाम पहले से ही खातेदारी मे दर्ज है।
वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता सुरजा परस्पर सगे भाई है, जिनके पिता का नाम उमदा था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी जेरबहस पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 22, 23 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता सुरजा व उसके वारिसान ही कदीम से काबिज रहकर काश्त करते है। सुरजा पुत्र श्योलाल व उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 21 अथवा अन्य प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 का भूमि मुतनाजा पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा आज भी मौके पर उनका भूमि मुतनाजा पर कोई कब्जा नहीं है। वादी एवं उसके भाई सुरजा, प्रभात व काना उपरोक्त भूमि पर अपने बुजुर्गो के समय से शान्तिपूर्वक राज.टीनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वरवक्त लागू होने टर्म सैटलमेंट सं. 2008 एवं बरोज लागू होने राज. काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 को वादी एवं उसके भाई सुरजा, प्रभात, काना पि. उमदा ही भूमि मुतनाजा पर बहैसियत काश्तकार काबिज थे एवं काश्त कर रहे थे, अन्य प्रतिवादीगण अथवा सुरजा पुत्र श्योलाल का भूमि मुतनाजा पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। साबिक सैटलमेंट मे खातेदारी मे सुरजा पुत्र श्योलाल एवं नाथ्या पुत्र किशना का नाम बिना किसी आधार के गलत एवं गैरकानुनी तरीके से दर्ज किया गया है।

वादी एवं उसके भाई सुरजा, प्रभात, काना मे सुरजा ही राजकाज मे जाता आता था एवं समझदार तथा कर्ता खानदान था सभी भाई शामिल मे रहते थे, अतः साबिक सैटलमेंट के वक्त पर्चा खातेदारी मे अकेले सुरजा पुत्र उमदा का ही नाम सैटलमेंट कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा दर्ज कर दिया गया था, जबकि भूमि मुतनाजा पर चारों भाई बहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22 व 23 मृतक सुरजा के साथ बहिस्सा बराबर–बराबर के खातेदार हैं, पर्चा अकेले के नाम से गलत दर्ज किया गया था।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23 एवं मृतक सुरजा पुत्र उमदा ने साबिक खसरा नम्बर 1893 मे संवत 2016 मे सामलाती रूप से चाह का निर्माण करवाया था जिसमे सभी भाईयों के सामलाती खर्चे से विद्युत सम्बन्ध सुरजा पुत्र उमदा के नाम से लगा हुआ है जिससे सभी भाई बराबर हिस्से के अनुसार सिंचाई करते रहे है एवं विद्युत खर्च की राशि भी हिस्से अनुसार जमा कराते रहे है। नये सैटलमेंट मे चाह की भूमि का नया नम्बर 2122 कायम किया गया है। साबिक सैटलमेंट मे भूमि की खातेदारी मे सुरजा पुत्र श्योलाल व नाथ्या पुत्र किशना के नाम से जो खातेदारी दर्ज की गई थी वह वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 22, 23 तथा सुरजा पुत्र उमदा के वारिसान के विरूद्ध प्रभावहीन व शुन्य है तथा काबिल दुरूस्ती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। प्रतिवादीगण प्रभात व काना तथा मृतक सुरजा पुत्र उमदा ने भूमि मुन्दर्जा अर्जी दावा सम्वत् 2015 मे चाह निर्माण करने के बाद परस्पर बैठकर बाहमी रूप से पारिवारिक बंटवारा कर लिया था एवं तब से वादी एवं प्रतिवादीगण प्रभात व काना व सुरजा पुत्र उमदा व उसके वारिसान बाहमी बंटवारे से अपने–अपने हिस्से मे आई भूमि पर अलग–अलग काबिज काश्त हैं एवं चाह व उसमे लगे विद्युत सम्बन्ध से अपने–अपने हिस्से की भूमि को सिंचित करते रहे है तथा जो भूमि पडत रही है उसके घास, पानी, पूले का फायदा उठाते रहे हैं तथा पशु चराते रहे है।

वादपत्र मे दर्ज बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्से मे आयी भूमि के हाल सैटलमेंट मे हाल खसरा नम्बर 2110, 2111, 2127, 2128, 2129 एवं 2126 बनाये हैं, वादी का भूमि हाल खसरा नम्बर 2111, 2119, 2127, 2128, 2129 के सम्पूर्ण रकबे पर तथा हाल खसरा नम्बर 2126 उत्तर–पश्चिमी हिस्से की करीब 3 बीघा के रकबे पर कब्जा है, वादी उक्त भूमि पर सभी प्रतिवादीगण की जानकारी मे आषाढ संवत् 2016 के बाहमी बंटवारे से अलग से काबिज है तथा काश्त करता रहा है। वादी ने हाल खसरा नम्बर 2127 मे पुख्ता मकान बना रखा है तथा हाल खसरा नम्बर 2128 मे वादी ने अलग से अपना चाह भी बना लिया है एवं उक्त भूमि पर अलग से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। आषाढ संवत 2016 मे बाहमी बंटवारा समय नाथ्या पुत्र किशना एवं सुरजा पुत्र श्योलाल भी राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होने के नाते बंटवारा से कब्जा मे भूमि लेना चाहते थे किन्तु वादी एवं उसके भाईयों ने उनको साफ मना कर दिया कि तुम्हारा जमीन मे कोई कब्जा व अधिकार नहीं है एवं बाहमी बंटवारा मे उन्हें कोई भूमि नहीं दी गई है उसके बाद भी भूमि मुतनाजा पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 22, 23 एवं मृतक सुरजा पुत्र उमदा व उसके वारिसान प्रतिवादीगण को आउस्ट रखते हुए होस्टायल रूप से अजजायद 12 वर्ष से भी अधिक अर्से करीब 45–46 साल से भूमि मुतनाजा पर शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के लगातार सुचारू रूप से काबिज है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 एवं 22 लगायत 23 को इस आधार पर भी प्रतिवादीगण के खिलाफ कब्जा मुखालफाना हो गया है एवं वादी को भूमि मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 2110, 2111, 2127, 2128, 2129 सभी नम्बरों की सम्पूर्ण भूमि एवं खसरा नम्बर 2126 की उत्तर–पश्चिम साइड की करीब तीन बीघा भूमि पर सभी प्रतिवादीगण के खिलाफ कब्जा मुखालफाना से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 2130, 2131 नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर स्थित है, सन् 1992 मे रोड के विस्तार के लिए इन दोनो नम्बरों मे से करीब 14 एयर भूमि को राजस्थान सरकार के पी.डब्लू.डी. विभाग द्वारा अवाप्त किया गया था, उस समय भी नाथ्या पुत्र किशना के वारिसान व सुरजा पुत्र श्योलाल के वारिसान ने भूमि मुतनाजा मे से अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा प्राप्त करने की कोशिश की थी, उस समय वादी एवं उसके भाईयों ने न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा के यहां वादपत्र नाथ्या पुत्र किशना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 व उनके भाई बोदूराम व नाथ्या के खिलाफ तथा सुरजा पुत्र श्योलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 के विरूद्ध दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, जो बाद में हिदायत पैरवी नहीं होने से खारिज किया गया था।

वादी ने प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्ग को रिकार्ड दुरूस्ती बाबत कई बार कहा है किन्तु वे टालमटोल करते रहे है, अब प्रतिवादीगण ने रिकार्ड दुरूस्ती हेतु साफ मना कर दिया है। रिकार्ड दुरूस्ती से मना करने के बाद जब पटवारी हलका से जमाबन्दी की नकल ली तब वादी को पता चला कि प्रतिवादीगण हरिराम व गाडाराम तथा मोहरी, मालीराम, रामकरण, सुरजा वगैरह ने भूमि पर उनका कब्जा न होते हुए भी राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठाते हुए भूमि मे उनके नाम दर्ज हिस्से को दी जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाहपुरा मे रहन भी कर रखा है एवं भूमि को अन्य दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करने की धमकी देने से इस बात का पूरा–पूरा अंदेशा हो गया है कि प्रतिवादीगण अभी भी राजस्व रिकार्ड के आधार पर रहन बय बख्सीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर खुर्द–बुर्द कर सकते है। अतः प्रतिवादीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है।

अब वादी के भाई सुरजा पुत्र उमदा का देहान्त हो गया है, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 उसके जायद वारिस कायम मुकामान है एवं उसके हिस्से की भूमि पर काबिज है। भूमि मुन्दर्जा अर्जीदावा की खातेदारी मे वादी का नाम दर्ज नहीं होने से अब उनके मन मे बेईमानी आ गई है तथा उन्होनें अन्य प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 से साज करली है तथा वादी को कब्जे काश्त से बेदखल करने लगे है एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि को खुर्द–बुर्द करने का आमादा है। दावा दायरी के पन्द्रह दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने एलानियां कहा कि वादी का भूमि मुतनाजा की खातेदारी मे कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है केवल जमीन पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जा ही है जबकि राजस्व रिकार्ड हमारे पिता सुरजा पुत्र उमदा एवं सुरजा पुत्र श्योलाल के एवं नाथ्या पुत्र किशन लाल के वारिसान के नाम दर्ज है। अतः अब हम सब मिलकर राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि को अन्य किसी को हस्तान्तरित कर देगें व वादी को जबरन बेदलख करा देगें, जबकि प्रतिवादीगण को इस प्रकार बिना कब्जे के आधार पर वादी की कदीमी कब्जे काश्त की एवं हक खातेदारी की भूमि को हस्तान्तरित करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने दावा दायरी के बाद न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 12.09.05 की जानबूझकर अवहेलना करते हुए बदनीयति से वादीगण को नुकसान पहुंचाने व भूमि से महरूम कर देने की नियत से अन्य भूमियों के साथ–साथ विवादित भूमि खसरा नम्बर 2110,/0.32, 2111/0.30, 2126/3.41, 2127/0.48, 2148/1.74 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से अपने नाम दर्ज 2/7 भाग का विक्रय पत्र दिनांक 01.10.05 को प्रतिवादी संख्या 29 जयभारत बिल्डहोम प्रा.लि. जरिए निदेशक प्रदीप चौधरी निवासी जयपुर के नाम गलत व गैर कानूनी तरीके से स्वयं प्रतिवादीगण कब्जा भूमि पर न होते हुए भी उप पंजीयक विराटनगर के यहां पंजीबद्ध कराया है जो कि खिलाफ कानून होने से एबइनिशयों नल एण्ड वोईड है, उससे क्रेतागण को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, भूमि पर कब्जा आज भी वादीगण का है, क्रेता का भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं है।

अतः निवेदन है कि वादी को उसके बाहमी हिस्से में आयी भूमि ग्राम भाबरू के हाल खसरा नम्बर 2110, 2111, 2127, 2128, 2129 के सम्पूर्ण रकबे एवं खसरा नम्बर 2126 के उत्तरी–पूर्वी हिस्से की 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे, अन्यथा में वादी को भूमि मुतनाजा के हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं भूमि का कानूनी बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य करते हुए तद्नुसार रिकार्ड दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 29 के पक्ष में करायी गई रजिस्ट्री को प्रारम्भ से ही नल एवं वाइड करार दी जाकर इस आधार पर घोषणा की जावे कि उससे क्रेता को विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में कोई दखल नहीं करे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 का जवाब रहा कि आराजी मुतनाजा पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, न ही वादी एवं उसके पिता आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार रहे है। आराजी मुतनाजा पर सैटिलमेंट लागू होने से पूर्व से ही प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त रहा है, उक्त आराजी मुतनाजा पैतृक सम्पत्ति नहीं है, बल्कि अलाटमेंट से प्रतिवादीगण को खातेदारी प्राप्त हुई है। सुरजा पुत्र उमदा अकेला ही अपनी रिकार्डेड भूमि पर काश्त करता आ रहा है तथा उसके बाद उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 भूमि की काश्त कर रहे है। तथाकथित चाह का निर्माण सुरजा ने करवाया है, जिसमें अन्य किसी का हिस्सा नहीं था, विद्युत बिल भी सुरजा पुत्र उमदा के नाम ही आता है। खाता संख्या 458 में सुरजा पुत्र श्योलाल का कब्जा काश्त नहीं रहा है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 का ही कब्जा काश्त है, लेकिन रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 21 का नाम दर्ज हे, जिन्होनें रिकार्ड की भूमि का विक्रय कर दिया है, जिसका खाता नहीं खुला है, मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 का विधिक रूप से पूर्व से ही कब्जा काश्त है। कोई भी व्यक्ति बिना रिकार्ड एवं बिना कब्जा के बंटवारा कराने का अधिकार नहीं रखता है। वादपत्र में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष आधारहीन है। अतः वाद वादीगण मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

4. प्रतिवादी संख्या 29 का जवाब रहा कि प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 21 ने आराजी मुतनाजा में अपने 1/3 हिस्से की भूमि मे से 1/7 हिस्से की भूमि का मिन उत्तरदाता को पूर्ण प्रतिफल राशि लेकर दिनांक 01.10.2005 को पंजीकृत विक्रय पत्रान द्वारा बेचान कर कब्जा संभलाया है तथा खरीद के समय से ही आराजी मुतनाजा के 2/7 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 29 बहैसीयत खातेदार काश्तकार काबिज है, प्रतिवादी हिस्सा 2/7 का सद्भावी क्रेता है। यह भी कि कृषि भूमि में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। हस्तगत वाद गलत तथ्यों पर दायर किया गया है। प्रस्तुत वाद एवं राजस्व वाद संख्या 141/1992 (236/2002) की विषयवस्तु एवं पक्षकार आदि समान है, वादी गौरू उर्फ जोरा पूववर्ती वाद संख्या 141/1992 (236/2002) में वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 4 के रूप में पक्षकार रहा है, उक्त राजस्व वाद दिनांक 27.01.2003 के आदेश द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज हुआ है। वादी गौरू उर्फ जोरा ने उक्त राजस्व वाद को पुनः नम्बर पर (रेस्टोर) कराने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है, इस कारण वादी का प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 21 ने अपने हक अधिकार के तहत ही वादग्रस्त आराजी मे अपने हिस्से 2/7 भूमि का मुझ प्रतिवादी संख्या 29 को बेचान किया है, जिस पर उत्तरदाता बहैसीयत खातेदार काश्तकार भूमि पर काबिज काश्त है। विक्रय पत्र पूर्णरूपेण वैध एवं विधि सम्मत है, जो किसी भी प्रकार से एबनिशियो नल एण्ड वोईड नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 29 के पक्ष में कराये गये पंजीकृत विक्रय पत्रान दिनांक 01.10.2005 को अवैध एवं शुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यह भी कि वादी के भाई प्रभात के लडकों उमराव वगैरह ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या 5/2012 उनवानी उमराव वगैरह बनाम सुल्तान वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष दायर किया था, उक्त राजस्व वाद में प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को बाद सुनवाई न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.02.2013 द्वारा स्वीकार कर वाद को खारिज किया है, उक्त आदेश दिनांक 05.02. 2013 के विरूद्ध कोई अपील अथवा निगरानी सक्षम न्यायालय में नहीं हुई है। अतः उक्त आधार पर हस्तगत वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की गई

- आया वादी तथा प्रतिवादी 22 व 23 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का पिता सुरजा सगे भाई थे, वे ही विवादित आराजी पर काबिज थे प्रतिवादी 16 लगायत 21 व 10 लगायत 15 का भूमि मुतनाजा पर कभी कब्जा नहीं रहा ? **—— जिम्मे वादीगण**
- आया वादी दावे के जिम्मन 7 अनुसार बाहमी बटवारे से काबिज आराजी है ? **—— जिम्मे वादीगण**
- आया वादी का कब्जा मुखालफाना हो गया है तथा दावे के जिम्मन नम्बर 17 के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है ? **—— जिम्मे वादीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- आया विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 काबिज रहे है ? —— जिम्मे प्रतिवादीगण

6. वादीगण ने वादपत्र/तनकियात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी (खतौनी) संवत् 2028–2031 Ex.P-1, नकल जमाबन्दी (खतौनी) खाता संख्या 458 संवत् 2060–2063 Ex.P-2, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.P-3, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2029–2032 Ex.P-4 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

   मौखिक साक्ष्य के रूप में गौरू उर्फ जोरू पुत्र उमदा, हनुमान पुत्र भगवाना, प्रभात पुत्र हरनन्द, बीरबल पुत्र सरदारा, अर्जुनलाल पुत्र गौरू उर्फ जोरा, सुरज पुत्र शंकर आदि के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया।

7. प्रतिवादी संख्या 29 ने अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2005, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 491 संवत् 2064–2067, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 459 संवत् 2024–2027, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2025–2028 आदि पेश किये।

   प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में रामकरण पुत्र सूरजा, छींतर पुत्र बोदू, हरिचन्द पुत्र प्रभात, हरसहाय पुत्र सुल्तानराम के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया।

8. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भाबरू में पेश हुई। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा उपस्थित पक्षकारान की राजीनामा से प्रकरण निस्तारण बाबत समझाईश की गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता सुरजा परस्पर सगे भाई है, जिनके पिता का नाम उमदा था। साबिक खसरा नम्बर 1892 रकबा 22 बीघा 5 बिसवा तथा साबिक खसरा नम्बर 1893 रकबा 33 बीघा 16 बिसवा की खसरा गिरदावरी संवत् 2012 लगायत 2033 में वादीगण के पिता गौरू उर्फ जोरा एवं प्रतिवादी सूरजा, परभात, काना का समान रूप से आराजी मुतनाजा पर कब्जा काश्त मानते हुए खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 12 में नाम दर्ज किया गया है। खसरा गिरदावरी संवत् 2029–2032 Ex.P-4 राजस्व अभिलेख है, जिससे मैं, पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण का शुरू से कब्जा काश्त रहा है। वरवक्त लागू होने टर्म सैटलमेंट सं. 2008 एवं बरोज लागू होने राज. काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 को वादी एवं उसके भाई सुरजा, प्रभात,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काना पि. उमदा ही भूमि मुतनाजा पर बहैसियत काश्तकार काबिज थे एवं काश्त कर रहे थे, अन्य प्रतिवादीगण अथवा सुरजा पुत्र श्योलाल का भूमि मुतनाजा पर कोई कब्जा काश्त नहीं था, उक्त तथ्य की पुष्टि मौका आयुक्त रिपोर्ट से भी होती है। वादी ने हाल खसरा नम्बर 2127 मे पुख्ता मकान बना रखा है तथा हाल खसरा नम्बर 2128 मे वादी ने अलग से अपना चाह भी बना लिया है एवं उक्त भूमि पर अलग से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। भूमि मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 2130, 2131 नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर स्थित है, सन् 1992 मे रोड के विस्तार के लिए इन दोनो नम्बरों मे से करीब 14 एयर भूमि को राजस्थान सरकार के पी. डब्लू.डी. विभाग द्वारा अवाप्त किया गया था। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने अन्य भूमियों के साथ–साथ विवादित भूमि खसरा नम्बर 2110,/0.32, 2111/0.30, 2126/3.41, 2127/0.48, 2148/1.74 हैक्टेयर के` अपने नाम दर्ज 2/7 भाग का विक्रय पत्र दिनांक 01.10.05 को प्रतिवादी संख्या 29 जयभारत बिल्डहोम प्रा.लि. जरिए निदेशक प्रदीप चौधरी निवासी जयपुर को कब्जा भूमि पर न होते हुए भी उप पंजीयक विराटनगर के यहां पंजीबद्ध कराया है, जबकि भूमि पर कब्जा आज भी वादीगण का है, क्रेता का भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं है। मुताबिक मौका आयुक्त रिपोर्ट खसरा नम्बर 2129 पर वादीगण का कब्जा काश्त है, उक्त खसरा नम्बर के पश्चिम में खसरा नम्बर 2130, 2131 जो प्रभात के कब्जा काश्त में है। खसरा नम्बर 2128 की दक्षिण सीमा मेढ पर एक झौंपडी बनी हुई है तथा इसी मेढ पर एक बोरिंग बनी हुई तथा इसके समीप ही पानी का टैंक बना हुआ है, तथा पशुओं के पीने के पानी का कुण्ड बना हुआ है, जो वादीगण के कब्जा काश्त में होना पाया गया है। यह भी कि प्रकरण के संबंध में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/9 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने राजीनामा भी पेश किया है। राजीनामा दिनांक 06.05.2016 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने खसरा नम्बर 2123/0.27, 2127/0.48, 2128/0.44, 2129/0.25, 2130/0.77, 2087/0.42, 2097/0.12, 2099/0.25 हैक्टेयर किता 8 रकबा 3.00 हैक्टेयर मे अपने हिस्सा 1/3 की खातेदारी वादी संख्या 1/1 लगायत 1/9 के नाम दर्ज किये जाने पर सहमति प्रकट की है तथा सहमति स्वरूप राजीनामा पर अपने–अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी की है, जिनकी पहचान संबंधित अधिवक्तागण ने भी की है। मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 353 संवत् 2072–2075 आराजी खसरा नम्बर 2087/0.42, 2097/0.12, 2099/0.25, 2123/0.27, 2127/0.48, 2128/0.44,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2129/0.25, 2130/0.77 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 वादी संख्या 1/1 लगायत 1/9 से राजीनामा किया है। यह भी कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता सुरजा परस्पर सगे भाई है, जिनके पिता का नाम उमदा था, अर्थात उपरोक्ता पक्षकार एक परिवार कुटुम्ब के व्यक्ति है, जिनके मध्य राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। यह भी कि प्रकरण में चस्पा तनकियात में तनकी संख्या 1, 2 एवं 4 उपर्युक्त विवेचन के आधार पर बहक वादीगण निर्णीत किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ। अतः प्रस्तुत राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की हद तक दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है एवं उचित पाता हूॅ। जहां, तक अन्य प्रतिवादीगण का प्रश्न है, उन्होनें प्रकरण में किसी प्रकार का राजीनामा पेश नहीं किया है, जिसके संबंध में वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ नये सिरे से दावा पेश करने की अनुमति दी जावे, जिसके संबंध में हम यह हस्तगत अन्य प्रतिवादीगण की हद तक विड्रा करते है, जिसे स्वीकार किया जाता है।

9. निष्कर्ष : वस्तुतः आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 2087/0.42, 2096/1.17, 2097/0.12, 2098/0.05, 2099/0.25, 2102/0.30, 2108/0.12, 2109/0.17, 2110/0.32, 2111/0.30, 2112/0.03, 2113/0.12, 2114/0.05, 2115/0.07, 2116/0.19, 2117/0.14, 2118/0.18, 2119/0.24, 2120/0.29, 2121/0.36, 2122/0.17, 2123/0.27, 2124/0.39, 2125/0.30, 2126/3.41, 2127/0.48, 2128/0.44, 2129/0.25, 2130/0.77, 2131/0.65, 2148/1.74 हैक्टेयर की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 353 संवत् 2072–2075 चन्दा पत्नी सुरजा, सुलतान, भगवानसहाय, मालीराम पिता सुरजा, फूली पत्नी कल्याण, हनुमान, धूणाराम पिता कल्याण हिस्सा 1/3, मोहरी पत्नी सुरजा, मालीराम, रामकरण पिता सुरजा, गैन्दी, सुशी, बरजी, कमली, चोथी, प्रेम पुत्रियान सुरजा हिस्सा 1/3, नानगराम पुत्र नाथ्या हिस्सा 1/12, हरिराम, गाडाराम पिता नाथ्या हिस्सा 1/6, छींतरमल, पुरणमल, सुन्दरलाल पिता बोदूराम हिस्सा 7/96, सुरजी देवी, गीता देवी, मुशी देवी पुत्रीयान बोदूराम हिस्सा 1/96 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त हाल खसरा नम्बर के साबिक खसरा नम्बर 1292 रकबा 22 बीघा 5 बिसवा, तथा 1293 रकबा 33 बीघा 16 बिसवा रहे है, जिनकी खातेदारी सूजा पुत्र श्योलाल व सुरज्या पुत्र उमदा व नाथ्या पुत्र किशना के नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज रिकार्ड रही। मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 353 संवत् 2072–2075 आराजी खसरा नम्बर 2087/0.42, 2097/0.12, 2099/0.25, 2123/0.27, 2127/0.48, 2128/0.44, 2129/0.25, 2130/0.77 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 वादी संख्या 1/1 लगायत 1/9 से राजीनामा किया है। यह भी कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता सुरजा परस्पर सगे भाई है, जिनके पिता का नाम उमदा था, अर्थात उपरोक्त पक्षकार एक परिवार कुटुम्ब के व्यक्ति है, जिनके मध्य राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। साबिक खसरा नम्बर 1892 रकबा 22 बीघा 5 बिसवा तथा साबिक खसरा नम्बर 1893 रकबा 33 बीघा 16 बिसवा की खसरा गिरदावरी संवत् 2012 लगायत 2033 में वादीगण के पिता गौरू उर्फ जोरा एवं प्रतिवादी सूरजा, परभात, काना का समान रूप से आराजी मुतनाजा पर कब्जा काश्त मानते हुए खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 12 में नाम दर्ज किया गया है। खसरा गिरदावरी संवत् 2029–2032 Ex.P-4 राजस्व अभिलेख है, जिससे मैं, पूर्णतः संतुष्ट हूॅ कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण का शुरू से कब्जा काश्त रहा है। वरवक्त लागू होने टर्म सैटलमेंट सं. 2008 एवं बरोज लागू होने राज. काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 को वादी एवं उसके भाई सुरजा, प्रभात, काना पि. उमदा ही भूमि मुतनाजा पर बहैसियत काश्तकार काबिज थे एवं काश्त कर रहे थे, अन्य प्रतिवादीगण अथवा सुरजा पुत्र श्योलाल का भूमि मुतनाजा पर कोई कब्जा काश्त नहीं था, उक्त तथ्य की पुष्टि मौका आयुक्त रिपोर्ट से भी होती है। वादी ने हाल खसरा नम्बर 2127 मे पुख्ता मकान बना रखा है तथा हाल खसरा नम्बर 2128 मे वादी ने अलग से अपना चाह भी बना लिया है एवं उक्त भूमि पर अलग से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। अतः वाद वाद मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की हद तक डिक्री किया जाना न्यायसंगत है तथा शेष प्रतिवादीगण की हद तक वादीगण द्वारा वाद विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र, वादीगण द्वारा शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ नये सिरे से दावा पेश करने की अनुमति के साथ स्वीकार किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के अनुसार डिक्री किया जाता है। वादीगण को वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 2087/0.42, 2097/0.12, 2099/0.25, 2123/0.27, 2127/0.48, 2128/0.44, 2129/0.25, 2130/0.77 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के हिस्सा 1/3 के हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण को, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 29 के संबंध मे नये सिरे वाद प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता के साथ वाद को विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा दिनांक 06.05.2016 को उक्त आदेश/डिक्री का अभिन्न भाग रखते हुए राजीनामा अनुसार तहसीलदार विराटनगर को राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–आम कैम्प कोर्ट भाबरू में दिनांक 16.05.2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

दिनांकः–25/05/2018

नोटः– आदेश भाग की लाईन सं. 5 व 6 में वर्णित प्रतिवादी सं. 1 लगा. 9 का 1/3 के हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/12 के बजाय कुल किता 8 कुल रकबा 3.00 है0 का हिस्सा 1/3 का वादीगण को हिस्सेदार काश्तकार खातेदार घोषित किया जाना पढ़ा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भाबरू

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. गोरू उर्फ जोरू पुत्र उमदा (मृतक)
   1/1 नर्बदा देवी पत्नि स्व. गोरू उर्फ जोरू
   1/2 साधूराम
   1/3 परताराम
   1/4 रामसहाय } पि. स्व. गोरू उर्फ जोरू
   1/5 अर्जुन
   1/6 देवकरण
   1/7 सन्तोष
   1/8 मिश्री } पुत्रियां स्व. गोरू उर्फ जोरू
   1/9 हीरा
   समस्त जाती गुर्जर निवासी ढाणी मुक्तावाला तन भाबरू तहसील विराटनगर

—— वादीगण

बनाम

1. मालीराम } पुत्रान सुरजा } जाती गुर्जर निवासी ढाणी मुक्तावाला
2. रामकरण } तन भाबरू, तहसील विराटनगर
3. मोहरी पत्नी सुरजा
4. गैन्दी पुत्री सुरजा पत्नी हनुमान जाती गुर्जर निवासी काकराणा बडा तहसील विराटनगर
5. बरजी पुत्री सुरजा पत्नी रूडाराम } जाती गुर्जर निवासी सूण्डा की ढाणी
6. सुसी पुत्री सुरजा पत्नी बीरबल } तन ढाणी गैसकान, विराटनगर
7. चौथी पुत्री सुरजा पत्नी नरसी } जाती गुर्जर निवासी ढाणी डेहरा
8. कमली पुत्री सुरजा पत्नी भंवरा } तन भाबरू, तहसील विराटनगर
9. प्रेम पुत्री सुरजा पत्नी किशना जाती गुर्जर निवासी नोहरा तन प्रतापगढ तहसील थानागाजी, जिला अलवर
10. छींतर
11. पूरण } पुत्रान बोदूराम, जाती गुर्जर निवासी ढाणी मुक्तावाला
12. सुन्दर } तन भाबरू, तहसील विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13. नानगराम पुत्र नाथ्या (फौत)
  13/1. महादेव पुत्र नानगराम (फौत)
    13/1/1. संज्या पत्नी महादेव
    13/1/2. अर्जुन
    13/1/3. भींवाराम } पुत्रान महादेव
    13/1/4. सतीष
  13/2. छाजू
  13/3. मेवाराम } पुत्रान नानगराम
  13/4. गोपाल
  13/5. सायरी } पुत्रीयां नानगराम
  13/6. मीरा
14. हरिराम } पुत्रान नाथ्या
15. गाडाराम
16. सुल्तान पुत्र सुरजा (फौत)
  16/1. ओमकार
  16/2. हरसहाय } पुत्रान सुल्तान
  16/3. धूडाराम
  16/4. बाबूलाल
  16/5. रमेश
  16/6. कमली
  16/7. सन्ती } पुत्रीयां सुल्तान
  16/8. ममता
17. भगवानसहाय } पुत्रान सुरजा
18. मालीराम
19. हनुमान } पुत्रान कल्याण
20. धूणाराम
21. फूली पत्नी कल्याण
22. प्रभात पुत्र उमदा (फौत)
  22/1. मक्खनलाल
  22/2. उमराव } पुत्रान प्रभात
  22/3. लीलाराम
  22/4. रूडी देवी पुत्री प्रभात पत्नी हीरालाल जाती गुर्जर निवासी ज्ञानपुरा तन तेवडी तहसील विराटनगर
23. कानाराम पुत्र उमदाराम (फौत)
  23/1. पतासी पत्नी कानाराम
  23/2. जगदीश } पुत्रान कानाराम } जाती गुर्जर निवासी ढाणी मुक्तावाला तन भाबरू तहसील विराटनगर
  23/3. हजारी
  23/4. दाताराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23/5. राजकरण उर्फ राजू
23/6. गुलाबी } पुत्रीयां कानाराम, जाती गुर्जर
23/7. माना देवी } निवासी ढाणी मुक्तावाला
23/8. केशर } तन भाबरू, तहसील विराटनगर
24. व्यवस्थापक, दी जयपुर सैन्ट्रल कॉ–ओपरेटिव बैंक, शाखा भाबरू तहसील विराटनगर
25. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर
26. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
27. तहसीलदार तहसील विराटनगर
28. भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
29. जय भारत बिल्ड होम प्राईवेट लि॰ जरिए निदेशक प्रदीप चौधरी निवासी 215–ए सीटी सैन्टर संसारचन्द्र रोड, जयपुर शहर 302001

–– प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 79/2005 **दावा बाबत इस्तकरारह, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री मदनलाल जाट एवं श्री गणपतलाल पंसारी एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वादी को उसके बाहमी हिस्से में आयी भूमि ग्राम भाबरू के हाल खसरा नम्बर 2110, 2111, 2127, 2128, 2129 के सम्पूर्ण रकबे एवं खसरा नम्बर 2126 के उत्तरी–पूर्वी हिस्से की 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे, अन्यथा में वादी को भूमि मुतनाजा के हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे

कैम्प कोर्ट भाबरू में सुना गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य राजीनामा पेश है। खसरा गिरदावरी संवत् 2029–2032 Ex.P-4 राजस्व अभिलेख है, जिससे मैं, पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण का शुरू से कब्जा काश्त रहा है। वरवक्त लागू होने टर्म सैटलमेंट सं. 2008 एवं बरोज लागू होने राज. काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 को वादी एवं उसके भाई सुरजा, प्रभात, काना पि. उमदा ही भूमि मुतनाजा पर बहैसियत काश्तकार काबिज थे एवं काश्त कर रहे थे, अन्य प्रतिवादीगण अथवा सुरजा पुत्र श्योलाल का भूमि मुतनाजा पर कोई कब्जा काश्त नहीं था, उक्त तथ्य की पुष्टि मौका आयुक्त रिपोर्ट से भी होती है। वादी ने हाल खसरा नम्बर 2127 मे पुख्ता मकान बना रखा है तथा हाल खसरा नम्बर 2128 मे वादी ने अलग से अपना चाह भी बना लिया है एवं उक्त भूमि पर अलग से काबिज रहकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काश्त करता आ रहा है। अतः वाद वाद मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की हद तक डिक्री किया जाना न्यायसंगत है तथा शेष प्रतिवादीगण की हद तक वादीगण द्वारा वाद विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र, वादीगण द्वारा शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ नये सिरे से दावा पेश करने की अनुमति के साथ स्वीकार किया जाता है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के अनुसार डिक्री किया जाता है। वादीगण को वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 2087/0.42, 2097/0.12, 2099/0.25, 2123/0.27, 2127/0.48, 2128/0.44, 2129/0.25, 2130/0.77 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के हिस्सा 1/3 के हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण को, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 29 के संबंध मे नये सिरे वाद प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता के साथ वाद को विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा दिनांक 06.05.2016 को उक्त आदेश/डिक्री का अभिन्न भाग रखते हुए राजीनामा अनुसार तहसीलदार विराटनगर को राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–आम कैम्प कोर्ट भाबरू में दिनांक 16.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

दिनांकः– 25/05/2018

नोटः– आदेश भाग की लाईन सं. 5 व 6 में वर्णित प्रतिवादी सं. 1 लगा. 9 का 1/3 के हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/12 के बजाय कुल किता 8 कुल रकबा 3.00 है0 का हिस्सा 1/3 का वादीगण को हिस्सेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना पढ़ा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 16.05.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर